GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

No. 2018/Sec(CCB)/Wildlife **New Delhi, dated 06.03.2020**

Principal Chief Security Commissioners/RPF
All Zonal Railways,
RPSF, ICF, KRCL, RDSO, CORE, Construction
Director/JR RPF Academy/LKO.

(Security Circular No. 01/2020)

Sub:- Prevention of illegal trade of Wildlife through Railway transport.

Recently, Railway has been used for illegal transportation of Wildlife. RPF has made several recoveries of such wildlife and handed them over to concerned agencies. Role of RPF is crucial especially as a First Responder to curb this menace. Instructions have been issued in this regard from time to time. RPF has also assisted ably in special drives conducted by "Ministry of Environment and Forest" through WCCB with remarkable results.

A detailed guideline regarding booking and carriage of wildlife has been issued by Railway Board vide no. TC-II/2080/12/Live Stock dated 17.05.2013 and reiterated through letter no. TC-II/2080/2018/Livestock dtd. 26.11.2018. The instruction contained in these letters may be followed in letter & spirit. The instructions for booking of wildlife for transportation through railways is as under:-

(i) No consignment of birds (whether wild or otherwise) or any wild animals including rabbit should be accepted unless the consigner and consignee furnish a joint statement duly signed by them and containing an elaborate and accurate description of each birds (whether wild or otherwise) and wild animals.

(ii) It has been reliably learnt that other birds, wild animals etc are booked in the name of chicken. If need be, consignment should be physically checked to detect false declaring, if any.

(iii) Besides other necessary documents required, no consignment of birds (whether wild or otherwise) or any wild animals including rabbits should be accepted unless a certificate issued from the authorized officer i.e. Chief Wildlife Wardens or District Animal Husbandry Officer, or as per designated Officer/office of the concern state furnished vide Railway Board's letter no. TC-II/2080/12/Livestock dated 02.04.2013, is submitted.

(iv) The consigner of such birds (Wild or otherwise) and wild animals including rabbits will present all the relevant documents as mentioned in (ii) above to the Assistant Commercial Manager of the concerned division for scrutiny/authorization. The Assistant Commercial Manager will ensure correctness and authenticity or documents as specified in (i) & (ii) above and only then issue authorization to the Chief Parcel Officer/Chief Goods clerk for acceptance of such consignment for booking.

(v) No consignment of birds (whether Wild or otherwise) or any wild animals including rabbits will be accepted for booking by any Parcel Officer or Goods shed unless clear authorization is received from the Assistant Commercial Manager of the concerned Division.

(vi) Each case of such booking authorized by Assistant Commercial Manager will be serially documented and records in respect thereof maintained by the office of Assistant Commercial Manager as also the Chief Parcel Clerk/Chief Goods Clerk of the Parcel Office /Goods Shed.

(vii) The Mandatory conditions for receiving, forwarding, carrying or delivering for carriage of birds (whether wild or otherwise) and wild animals including rabbits should be pasted and published at all Railway Stations and other places where consignments are received for carriage.

(viii) The above will not apply for pet animals accompanied by their owners on train.

Note: Correction slips issued by Railway Board in this context may also be followed.

In addition to the instructions mentioned above, you are also advised to sensitize the RPF staff working in field formations to be alert, attentive and to take proactive action against unbooked carriage of wildlife in passenger coaches or other parts of rolling stock.

Vulnerable trains for illegal carriage of wildlife may be identified and all out effort may be made to take intensive and sustained action in this regard, so that no illegal trade/ transportation of wildlife is done through rail transport.

A review of action taken may be done by divisions on monthly basis and by zones on quarterly basis.

6/3/2020

Arun Kumar, IPS
Director General,
Railway Protection Force
Railway Board, New Delhi

भारत सरकार/Government of India

रेल मंत्रालय/Ministry of Railways

(रेलवे बोर्ड)(Railway Board)

सं. 2018/ सुरक्षा(सीसीबी)/वाइल्डलाइफ

नई दिल्ली, दिनांक 06.03.2020

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब.
सभी ज़ोनल रेलवे,
रे.सु.वि.ब., स.डि.का, को.रे.कॉ.लि., अ.अ.मा.सं., कोर, निर्माण
निदेशक/जेआर आरपीएफ अकादमी/लखनऊ

(सुरक्षा परिपत्र सं. 01/2020)

विषय :- रेल परिवहन के माध्यम से वन्यजीवों के अवैध व्यापार की रोकथाम ।

हाल ही में, रेल का उपयोग वन्यजीवों के अवैध परिवहन के लिए किया गया है। रेल सुरक्षा बल ने ऐसे वन्यजीवों को कई बार बरामद किया है और उन्हें संबंधित एजेंसियों को सौंपा है। इस बुराई पर अंकुश लगाने के लिए विशेष रूप से प्रथम प्रत्यर्थी के रूप में रे.सु.ब. की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है । इस संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। रे.सु.ब. ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण शाखा(डब्ल्यूसीसीबी) के माध्यम से "पर्यावरण एवं वन मंत्रालय" द्वारा चलाए गए विशेष अभियानों में भी सक्षमता से सहायता प्रदान की है जिसके उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 17.05.2013 के पत्र सं. टीसी-II/2080/12/लाइवस्टॉक के तहत वन्यजीवों की गाड़ी में बुकिंग एवं ढुलाई के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और इन्हें दिनांक 26.11.2018 के पत्र सं. टीसी-II/2080/2018/लाइवस्टॉक के माध्यम से दोहराया गया है। इन पत्रों में निहित अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए। वन्यजीवों का रेलों के माध्यम से परिवहन करने के लिए उनकी बुकिंग करने संबंधी अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

(i) पक्षियों (चाहे वे वन्य हों अथवा अन्य) अथवा किसी जंगली जानवर जिसमें खरगोश भी शामिल हैं, वाला कोई भी परेषण तब तक स्वीकार न किया जाए जब तक परेषक और परेषिती द्वारा प्रत्येक पक्षी (चाहे वे वन्य हों अथवा अन्य) और जंगली जानवरों के विस्तृत एवं सही विवरण सहित विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित एक संयुक्त विवरण प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता।

(ii) विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि अन्य पक्षी, जंगली जानवरों आदि को चिकन के नाम पर बुक किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर, गलत घोषणा का पता लगाने के लिए, यदि कोई हो तो, परेषण की जांच व्यक्तिगत रूप से की जानी चाहिए।

(iii) अपेक्षित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के अलावा, पक्षियों (चाहे वे वन्य हों अथवा अन्य) अथवा जंगली जानवर जिसमें खरगोश भी शामिल हैं, वाला कोई भी परेषण तब तक स्वीकार न किया जाए जब तक रेलवे बोर्ड के दिनांक 02.04.2013 के पत्र सं. टीसी-II/2080/12/लाइवस्टॉक के तहत प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् मुख्य वन्यजीव संरक्षक अथवा जिला पशुपालन अधिकारी अथवा संबंधित राज्य के नामित अधिकारी/कार्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता।

(iv) ऐसे पक्षियों (चाहे वे वन्य हों अथवा अन्य) और जंगली जानवरों जिसमें खरगोश भी शामिल हैं, का परेषक उपरोक्त (ii) में यथा-उल्लिखित सभी संगत दस्तावेज़ संवीक्षा/अनुमोदन के लिए संबंधित मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक को प्रस्तुत करेगा। सहायक वाणिज्य प्रबंधक उक्त (i) एवं (ii) में यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों की सत्यता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करेगा और उसके बाद ही मुख्य पार्सल अधिकारी/मुख्य माल लिपिक को बुकिंग के लिए ऐसे परेषण की स्वीकृति हेतु अधिकार-पत्र जारी करेगा।

(v) किसी भी पार्सल अधिकारी अथवा माल शेड द्वारा पक्षियों (चाहे वे वन्य हों अथवा अन्य) या अन्य जंगली जानवर जिसमें खरगोश भी शामिल हैं, का परेषण बुकिंग के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक से स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता।

(vi) सहायक वाणिज्य प्रबंधक द्वारा अनुमोदित ऐसी प्रत्येक बुकिंग को क्रमिक रूप से प्रलेखित किया जाएगा और इससे संबंधित रिकॉर्ड का रखरखाव सहायक वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय में और पार्सल कार्यालय/माल शेड के मुख्य पार्सल लिपिक/मुख्य माल लिपिक द्वारा किया जाएगा।

(vii) पक्षियों (चाहे वे वन्य हों अथवा अन्य) और जंगली जानवर जिसमें खरगोश भी शामिल हैं, की ढुलाई के लिए प्राप्त करने, अग्रेषित करने, ले जाने अथवा सुपुर्दगी के संबंध में अनिवार्य शर्तें सभी रेलवे स्टेशनों पर और अन्य स्थानों जहां ढुलाई के लिए परेषण प्राप्त किए जाते हैं, पर चिपकाई और प्रकाशित की जाएं।

(viii) अपने मालिकों द्वारा साथ ले जाए जाने वाले पालतू जानवरों के लिए उपरोक्त अनुदेश लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी: इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी शुद्धि पर्चियों का भी अनुसरण किया जाए।

उपर्युक्त अनुदेशों के अतिरिक्त, आपको यह सलाह भी दी जाती है कि फील्ड फॉर्मेशन में कार्यरत रे.सु.ब. के कर्मचारियों को सतर्क रहने, चौकस रहने और यात्री डिब्बों अथवा चल स्टॉक के अन्य भागों मे बुक न किए गए वन्यजीवों की ढुलाई के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई करने के लिए जागरूक करें।

वन्यजीवों की अवैध ढुलाई के लिए अतिसंवेदनशील गाड़ियों की पहचान की जाए और इस संबंध में गहन एवं निरंतर कार्रवाई करने के भरसक प्रयास किए जाएं ताकि रेल परिवहन द्वारा वन्यजीवों का अवैध व्यापार/परिवहन न हो।

मंडलों द्वारा मासिक तथा ज़ोनों द्वारा तिमाही आधार पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाए।

30/3/2020

अरुण कुमार, आईपीएस

महानिदेशक,

रेल सुरक्षा बल

रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली